कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, काँठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक 2251 /14-1 दिनांक, मुरादाबाद, फरवरी, 20, 2016.

सेवा में,

डिप्टी मैनेजर,
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0,
वेद व्यासपुरी परतापुर, मेरठ।

विषय– जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद–सम्भल मार्ग कि0मी0 11 से 12 के मध्य दाँयी पटरी पर ग्राम ताहरपुर दोयम के खसरा सं0–25 व 26 में एच0पी0सी0एल0 विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06222 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–पी–3/14–2–2016–800(03)/2016 दि0 18–02–2016.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र दि0 18–02–2016 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 29 तक के संबन्ध में निम्न प्रकार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं0–384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि0 –09–2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वांछित अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके–

(1) वन भूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यकता एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईडलाइन्स दि0 24–7–2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान के आधार पर होगा।

(2) सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिससे फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।

(3) फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1X1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।

(4) प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जावेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (यदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा।

(5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी दशा में 1.00 है0 में कम होगा।

(6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के अनुसार निर्धारित धनराशि रू0 (0.06222 है0 दर प्रति है0 रू0 803000/–) **49963/–** की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से ***Compensatory Afforestation Fund (C.A.F.) Uttar Pradesh A/C No. S.B.A. 25230 Corporation Bank C.G.O. Complex, Lodi Road New Delhi-110003 (IFSC No. CORP 0000371)*** के नाम देय हो, इस कार्यालय में जमा करना होगा।

(8) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में जमा कराया जावेगा।

(9) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(10) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(11) प्रस्ताव विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फौना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्ताव विभाग फ्लोरा/फौना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(12) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(13) प्रस्तावक विभाग के संबन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(14) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

Deepak/D/m/GL-5.doc.299

(15) भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफसी(पीटी), दिनांक 19–8–2010 तथा पत्र संख्या–जे–11013/41/2006–आई0ए0–II(I), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(16) उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(17) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(19) प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(20) संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वन भूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।

(21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।

(22) समस्त अवैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(24) इस संबन्ध मे प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 11–7–2014 व 21–8–2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(25) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98 एफसी, दि0 8–7–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल मे दर्शाया गया हो।

(26) प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र सख्या–एफ0एन0 संख्या–11–266/2014 एफसी, दि0 11–7–2014 मे नये दिशा–निर्देश के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।

(27) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि 46704/– ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से **Compensatory Afforestation Fund (C.A.F.) Uttar Pradesh A/C No. S.B.A. 25230 Corporation Bank C.G.O. Complex, Lodi Road New Delhi-110003 (IFSC No. CORP 0000371)** के नाम देय हो, इस कार्यालय में जमा करना होगा।

(28) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एव आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है।

(29) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(डा0 बी0सी0 ब्रह्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3– लेखा लिपिक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।

(डा0 बी0सी0 ब्रह्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

Deepak/D/m/GL-5.doc.300